

S-22

ई0 फाईल संख्या-58769

प्रेषक,

श्याम सिंह,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,  
लोक निर्माण विभाग,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

CECP/AA

लोक निर्माण अनुभाग 12

देहरादून: दिनांक 22 नवम्बर, 2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 में टी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत जनपद उधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र नानकमत्ता के विभिन्न 05 निर्माण कार्यों (विस्तृत आगणन) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., हल्द्वानी द्वारा निम्न तालिका में वर्णित कार्यों हेतु उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणनों, जिनके अन्तर्गत सड़क मार्गों की कुल लम्बाई 11.30 कि०मी० एवं लागत ₹ 494.17 लाख है, के शासन स्तर पर परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 494.17 लाख (₹ चार करोड़ चौरानबे लाख सत्रह हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु प्रस्तावित ₹ 0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) अर्थात् 05 कार्यों हेतु कुल ₹ 050. लाख (₹ पचास हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रू०)

क्रसं0	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी0 में)	शासन द्वारा अनु0 लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	टी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत जनपद उधमसिंहनगर के विधान सभा क्षेत्र-नानकमत्ता में एस0एच0-125 से धूमखेड़ा से सुनखरी तक मार्ग का पुनः निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	5.00	218.13	0.10
2	टी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत जनपद उधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र-नानकमत्ता के विकासखण्ड खटीमा के अन्तर्गत ग्रामसभा फुलैया में दीवान सिंह घर से रप्टा तक इण्टरलॉकिंग टाइल्स द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	0.800	47.11	0.10
3	टी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत जनपद उधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र-नानकमत्ता में एन0एच0-125 से झनकट होते हुये सुनखरी तक मार्ग का पुनः निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	3.00	96.29	0.10
4	टी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत जनपद उधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र-नानकमत्ता के अन्तर्गत एन.एच.-125 के कि0मी0 10 से गुरमीत सिंह के घर की ओर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	2.00	98.30	0.10
5	टी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत जनपद			

12/11/23

Ao  
1/12

Chief Engineer  
P.W.D., Dehradun



ऊधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र-नानकमत्ता में एन0एच0-125 से ग्राम बानूसी के शान्तिनगर तक इंटरलाकिंग टाईल द्वारा मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन)	0.500	34.34	0.10
योग	11.30	494.17	0.50

(रु0 पचास हजार मात्र)

## 2- उपरोक्त स्वीकृतियों निम्नांकित शर्तों के अधीन रहेगी:-

- i. विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा ली गई हो की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- ii. क्रमांक 02, 04 व 05 पर अंकित कार्य इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकार करने योग्य है कि मार्ग निर्माण हेतु पड़ने वाली भूमि हेतु अपेक्षित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- iii. वित्त अनुभाग-07 के शासनादेश संख्या 149101/XXVII(7)/E-20109/2022, दिनांक 25.08.2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।
- iv. प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- v. ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitible आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
- vi. निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- vii. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
- viii. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- ix. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- x. यदि विषयगत कार्य को कराये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
- xi. स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्च्योरमेन्ट रूल्स-2017 एवं उक्त विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
- xii. वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2024 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।
- xiii. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।



0585/2023

3 - इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-31, लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01 नया निर्माण कार्य-00-53 वृहद निर्माण के नामें डाला जायेगा।

4- ये आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटर जनित संख्या-I/170241/2023, दिनांक 21 नवम्बर, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

**Signed by Shyam Singh**

(श्याम सिंह)

**Date: 22-11-2023 14:59:00**

संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रकार्या0, लो.नि.वि., हल्द्वानी।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, लो.नि.वि., रूद्रपुर।
9. अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0, लो.नि.वि., खटीमा।
10. गार्ड फाईल।

(श्याम सिंह)

संयुक्त सचिव





बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023 - 2024 )

Secretary-Secretary, PWD(S038)

HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -I/170585/2023

अनुदान संख्या -031

आवंटन आई डी-S23110310030

आवंटन पत्र दिनांक-29-NOV-2023

लेखा शीर्षक

5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत  
परिव्यय

04-जिला तथा अन्य सड़के

337-सड़क निर्माण कार्य

02-नया निर्माण कार्य

00-0

Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	2	0	0
मानक मद का नाम				पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग					
53-वृहद निर्माण				80000	50000	0	130000					
योग				80000	50000	0	130000					

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.50,000 (Rupees Fifty Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग  
"नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: [eicpwduk@nic.in](mailto:eicpwduk@nic.in) cepwdua@gmail.com



पत्रांक- 1413 /20 याता0'क'/2023

दिनांक-04.11.2023

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी।
2. अधीक्षण अभियन्ता चतुर्थ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, रुद्रपुर।
3. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, खटीमा।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

प्रशासनिक अधिकारी  
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष  
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड  
देहरादून  
04/11/23